भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 1547
गुरुवार, 13 फरवरी, 2025/ 24 माघ, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

सिल्वर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा

1547. श्री परिमल शुक्ला बैद्यः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सिल्चर लोक सभा क्षेत्र में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना के निर्माण में देरी के मुख्य कारण क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने उक्त परियोजना का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या उक्त परियोजना के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (घ): भारत सरकार ने दो-चरण अनुमोदन प्रक्रिया अर्थात 'साइट क्लीयरेंस' और तत्पश्चात 'सैद्धांतिक' अनुमोदन के माध्यम से देश में नए ग्रीनफ़ील्ड हवाईअड्डों के विकास के लिए ग्रीनफ़ील्ड हवाईअड्डा (जीएफ़ए) नीति, 2008 तैयार की है।

भारत सरकार ने फरवरी, 2024 में सिल्चर, असम में ग्रीनफ़ील्ड हवाईअड्डे की स्थापना के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को 'साइट क्लीयरेंस' अनुमोदन प्रदान किया है। जीएफ़ए नीति के अनुसार, भूमि अधिग्रहण, आर एंड आर, वित्तपोषण, आदि सहित ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा परियोजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित हवाईअड्डा विकासकर्ता अथवा राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, की है। हवाईअड्डा परियोजनाओं के पूरा होने की समय-सीमा विभिन्न कारकों, जैसे भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण क्लियरेंस सहित अनिवार्य क्लीयरेंस की उपलब्धता, वित्तीय समापन, आदि पर निर्भर करती हैं।

*****